न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 49 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 31.08.2020

श्रीमति आशा श्रीवास्तव पत्नि विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी 2 / 283 हाऊसिंग बोर्ड कार्यालय टोंक जिला टोंक राज0

—अपीलांट

बनाम

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी 2 / 261 हाऊसिंग बोर्ड कार्यालय टोंक जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधि0 2007 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक आदेश दिनाक 19.06.2020

उपस्थिति : (1) श्री पारस कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव रेस्पोडेण्ट स्वंय

निर्णय

दिनांक 20.07.2022

अपील सांरांश मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने दिनांक 06.01.2020 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के यहां परिवाद अन्तर्गत धारा 4, 5, व 23 बाबत माता—पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने आदेश दिनांक 19.06.2020 मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत परिवाद / आवेदन को इस हद तक स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेण्ट के साथ—साथ ज्येष्ठ पुत्र विनोद कुमार सक्सैना (दोनो) को पाबंद किया जाता है कि वे अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए अपनी माता (अपीलांट) की पूर्ण देखभाल करें तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं [illegible] यदि दोनो पुत्रों के द्वारा कौताही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने [illegible] भरण—पोषण का भार रेस्पोडेण्ट पर अधिरोपित किया जाने, [illegible] विनोद को भरण—पोषण दायित्व से उन्मोचित किये जाने, रेस्पोडेण्ट से भरण—पोषण बाबत 20,000 / —रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रतिमाह दिलवाये जाने तथा इन्द्रा कॉलोनी तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर में स्थित प्लाट/मकान की जबरन बेदखली ना करने तथा शान्ति पूर्वक रहवास करने देने बाबत निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रारंम्भिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई है,जो कि उक्त एक्ट की धारा–17 के विपरित और उल्लघंन होने से अस्वीकार योग्य है। धारा–17 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसाय द्वारा नहीं किया जायेगा जबकि उक्त अपील जरिये अभिभाषक प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में पारिवारिक पेंशन (पूर्व अधिकरण की पत्रावली में संलग्न जीए–55 का) मृतक राज्य कर्मचारी के संबंध में मिल रही और मेडीकल पेंशन डायरी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है,और ना ही अपने पैतृक मकान में निवास करने का हवाला दिया है। धारा–4 के अनुसार धारा–4 (1) कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो श्रीमान माता पिता के अतिरिक्त कोई भी भरण पोषण है, इस एक्ट में सक्षम नहीं है। धारा–4 (3) अपने माता पिता का भरण पोषण करने की बालक की बाध्यता यथा स्थिति ऐसे माता पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है जिसमें कि ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतित कर सके। धारा–5 (3) की उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिये आवेदन की प्राप्ति पर बालक या नातेदार को आवेदक की सूचना देने के पश्चात और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भरण पोषण की रकम का धारण करने के लिये कोई जांच धारा 8 के तहत कर सकेगा। उक्त एक्ट के तहत आवेदन/अपील करने वाले पक्षकार को मिलने वाली आय जो कि स्वयं द्वारा या सम्पति से अर्जित आय से स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, अन्य किसी का नहीं। उक्त प्रकरण में अपीलांट को पारिवारिक पेंशन के रूप में भरण पोषण हेतु 12000/– रुपये राज्य सरकार से प्राप्त हो रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा मेडिकल की सुविधा मेडिकल डायरी से अपीलांट को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अपीलांट अपने पति के खरीदशुदा मकान में बड़े पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव के साथ निवास कर रही है। धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 15 की [illegible] कल्याण अधिकारी या समकक्ष अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या नामित [illegible] के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण पोषण अधिकारी [illegible] अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है,जि[illegible] अपील में [illegible] नहीं है। अपीलांट वर्तमान में राज्य सरकार से पारिवारिक [illegible] पोषण राशि 10000/– रुपये से ज्यादा 12000/– रुपये प्राप्त कर रही है। अपील[illegible] के बड़े पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा मनगढ़ंत [illegible] बनाकर उक्त भरण पोषण का आवेदन/ अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

...लांट के नाम से स्वयं अन्य अभिभाषक के साथ मिलकर बनाई और जरिये अभिभाषक ...तुत की गई है, जो सुनवाई योग्य नहीं होने से अस्वीकार योग्य है।

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का जवाब अपीलांट द्वारा पेश कर ...वेदन किया कि अपीलांट द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये गये है तथा अपीलांट ...सी पैतृक मकान में निवास नही कर रही है। अपील अपीलांट के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत ...ई है तथा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर्ड होकर नोटिस रेस्पोडेण्ट को जारी किये गये है, ...जसमे न्यायालय हाजा द्वारा कोई विधिक त्रुटि नही की गई है, केवल मात्र अभिभाषक के ...स्ताक्षर होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता की प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। रेस्पोडेण्ट को अपीलांट के द्वारा अभिभाषक नियुक्त करने पर आपत्ति है ...तो न्यायालय उत्तरदाता की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को अर्थात् भरण पोषण अधिकारी को निर्देशित करें, जिससे की अपीलांट उत्तरदाता के अधिवक्ता के स्थान पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रतिनिधित्व किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा आंशिक रूप से आदेश दिनांक 19.06.2020 की अपील पेश की गई है तथा उसमे कुछ त्रुटियां की गई थी, जिसे दबे स्वर में प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर रेस्पोडेण्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट ने अपीलांट उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत अपील को सैद्धान्तिक रूप से तय करने हेतु स्वीकृति भी प्रसारित कर दी है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियां आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी टोंक को अपीलांट की और से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी गई।

अपीलांट ने दोराने बहस लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के अन्तिम पृष्ठ के तीसरे, चौथे, पांचवे व छठे पेरा में आलोच्य आदेश पारित किया है, सरसरी रूप से देखने से ऐसा लगता है कि प्रार्थीया ने केवल मात्र अपने बड़े पुत्र को लाभ देने के लिए यह याचिका पेश की थी और अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत इस आक्षेप के आधार पर ही आलोच्य आदेश पारित किया है। यह स्थिति उस समय तो सही हो सकती थी जबकि दोनों पुत्र एक ही स्तर पर ही हो लेकिन यहां स्थिति पूर्णतया पृथक है और योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया। इस प्रकरण में प्रार्थीया के पति की असामयिक मृत्यु हो जाने से मृतक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के तहत विपक्षी की नियुक्ति की अभिशंषा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की गयी और विपक्षी को उक्त [illegible] तहत अनुकम्पा की नियुक्ति की थी इसलिए जहां परिवार के [illegible] का प्रश्न उठता है वहां पर दायित्व केवल मात्र उस व्यक्ति [illegible] रह जाता है [illegible] उक्त नियमों के तहत नियुक्ति प्राप्त की है। राजस्थान सर[illegible] नियमों में वर्ष 2001 में संशोधन किया गया है जो निम्न [illegible] भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

नियुक्ति नियम 1996 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम 2001 है।

(2) में तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगें।

2– नियम 5 का संशोधन– राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 5 के वि.. नियम 5 के उप नियम (1) के क्रम में संख्याकित किये जायेगें तथा प्रकार संख्याकिंत किये गये उप नियम (1) के परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित नया उप नियम (2) जोडा जायेगा, अर्थात

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरण पोषण करेगा तथा लिखित वचनबद्ध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरण पोषण करेगा/ करेगी। यदि तत्पश्चात किसी भी समय वह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति प्राधिकारी, क्यों न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान के पश्चात नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

ऐसी स्थिति में केवल मात्र विपक्षी की ही यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी मां जो पूर्णतया स्वर्गीय श्री विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी पर आश्रित थी, का भरण पोषण उसी स्तर पर करे जिस स्तर पर नियुक्ति पाने के पश्चात वह जीवन यापन कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रार्थीया के द्वारा केवल विपक्षी के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत करने पर क्या अप्रार्थी के बड़े भाई के विरूद्ध भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था ? यह कतई नहीं है क्योंकि धारा 5 भरण पोषण अधिनियम के अनुसार यह प्रार्थी की इच्छा है कि वह किससे भरण पोषण प्राप्त करे। दूसरे व्यक्ति को पक्षकार बनावे या नहीं, यह उसकी इच्छा पर है इसके अतिरिक्त यह भी लिखना उचित होगा कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के दूसरे भाई को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही सुना गया और उसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया गलत और अपास्त किये जाने योग्य है और आदेश विधि विरुद्ध है। चूंकि मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के अनुसार परिवार के उन सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मात्र उस व्यक्ति की है जिसको नियुक्ति मिली है। जो मृतक [illegible] थे ऐसी स्थिति में केवल पारिवारिक पेंशन के आधार पर ही प्रार्थीया का प्र[illegible] अस्वीकार नहीं किया जा सकता बल्कि अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त [illegible] अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के तहत अपने विधिक दायि[illegible] स्थिति में रेस्पोडेण्ट को प्राप्त होने वाले कुल वेतन का लगभग [illegible] आवश्यक रूप से दिलवाया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को [illegible] पोषण हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

(रेस्)पोडेण्ट से 20,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये ताकि वह सम्मानजनक जीवन यापन (क)र सके।

रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वरिष्ठ नागरिक (अ)धिनियम 2007 के सेक्शन संख्या 4 के अन्तर्गत वह व्यक्ति या वह वरिष्ठ नागरिक जो (स्)वयं भरण पोषण करने में असमर्थ हो वह उक्त दावे योग्य है सेक्शन संख्या 4 के बिन्दु (सं)ख्या 4 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक के व नातेदार (पुत्र व पुत्री) जो पूर्व में सम्पत्ति के हकदार हो या भविष्य में विरासत में प्राप्त करेंगे। सभी को अधिकरण एवं अपील अधिकरण समान रूप से उत्तरदायी मानेगा। इसका अर्थ यह है श्रीमति आशा श्रीवास्तव जो अपने पति की पारिवारिक पेंशन के रूप में मासिक 16,000/– रूपये प्राप्त कर रही है और साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा चिकित्सा डायरी व आर जी एच एस के रूप में प्राप्त कर रही है साथ ही अपने पति के 3 मंजिला मकान में निवास करती है,साथ ही 2 मंजिल का लगभग 20,000/– रूपये मासिक किराया भी आता है,साथ की गई अपील में यह आक्षेप लगाया गया है कि श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव बड़े पुत्र को देखभाल हेतु पाबान्द किया गया है जो निराधार है मगर श्रीमान सेक्शन संख्या 4 के बिन्दु संख्या 4 इनको उत्तरदायी मानती है। श्रीमति आशा श्रीवास्तव के पक्षकारों द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज, तथ्य एवं सबूत न्यायालय को प्रस्तुत नही किये गये है जिससे यह साबित हो कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के उपरान्त भी इनको भरण पोषण की आवश्यकता है या नही, साथ ही इन्होने आज दिनांक तक प्रार्थी के भरण पोषण न करने संबंधी दस्तावेज, साक्ष्य एवं बयान नहीं करवाये है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी द्वारा भरण पोषण नही किया गया है। जबकि प्रार्थी 2017 तक अपीलार्थी के साथ ही स्वयं के मकान में निवास कर रहा था। भरण पोषण सेक्शन संख्या 9 की उप धारा 1 व 2 के अनुसार जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो उसके लिए अधिकतम 10,000/– रूपये मासिक के प्रावधान उक्त अधिनियम में है। जबकि अपीलार्थी श्रीमति आशा श्रीवास्तव पूर्व में 2008 से 2015 तक 1/2 पेंशन प्राप्त की है और वर्तमान में भी लगभग 16,000/– रूपये से ज्यादा पेंशन प्राप्त कर रही है। भरण पोषण सेक्शन संख्या 17 के अनुसार अधिकरण या अधिकरण के समक्ष समस्त कार्यवाहीयों में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसाय द्वारा नहीं किया जायेगा जबकि उक्त अपील श्री जितेन्द्र जैन विधि व्यवसाय द्वारा पेश की गई है जो कि स्वयं अपीलार्थी को पेश की जानी थी,साथ ही न्यायालय द्वारा उपधारा 18 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उपरान्त नियुक्त कर दिया गया था। उसके पश्चात भी बिना किसी ठोस कारण व नियमों के विपरीत दिनांक 27.09.2021 को श्री पारस मल जैन विधि व्यवसाय पूर्व ए.डी.जे का वकालतनामा इस अपील को प्रभावित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा वर्ष 2018 तक अप[illegible] माता के भरण पोषण चिकित्सा व्यवस्था एवं देख रेख के साथ सभी पारि[illegible]क[illegible]क्रमों जिसमें दोनो बहनों की शादी व अन्य सभी कार्य नल [illegible] सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा एवं नैतिक दायित्व के साथ सम्पादित किये गये है। प्रार्थी [illegible] अपने माता को अपने पास रखने के काफी प्रयास किये उपखण्ड अधिकारी [illegible] के पश्चात भी रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रार्थी ने निवेदन किया साथ ही ए.डी.आर सेन्टर [illegible] की सुनवाई के दोरान भी प्रार्थी ने निवेदन किया परन्तु श्रीमति आशा श्रीवास्तव माता द्वारा जानबूझ कर रहने हेतु मना कर दिया जबकि प्रार्थी माता के रहने के निवास पर जाता है तो प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

खिलाफ उनके द्वारा झूठे मुकदमे दायर किये जाते है। प्रार्थी अपने मासिक वेतन से पत्नि मय दो बच्चो का पालन पोषण करता कर रहा है और माता श्री आशा श्रीवास्तव अपनी पेंशन से अपना पालन पोषण कर रही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेण्ट की मौखिक बहस पर मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह सिद्ध है कि परिवाद अन्तर्गत धारा 4, 5, व 23 बाबत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का आवेदन पत्र अपीलांट/परिवादिया द्वारा प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने आदेश दिनांक 19.06.2020 से परिवाद/आवेदन को इस हद तक स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेण्ट के साथ–साथ ज्येष्ठ पुत्र विनोद कुमार सक्सैना (दोनो) को पाबंद किया जाता है कि वे अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए अपनी माता (अपीलांट/परिवादिया) की पूर्ण देखभाल करे तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओ का ध्यान रखे, इसमे यदि दोनो पुत्रो के द्वारा कौताही बरती जाती है तो उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया है।

अपीलांट/परिवादिया ने अपने अपील मीमो मे भरण–पोषण आदि का भार रेस्पोडेण्ट पर अधिरोपित किया जाने,अपने ज्येष्ठ पुत्र विनोद को भरण–पोषण के दायित्व से उन्मोचित किये जाने, रेस्पोडेण्ट से भरण–पोषण बाबत 20,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने तथा इन्द्रा कॉलोनी तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर मे स्थित प्लाट/मकान की जबरन बेदखली ना करने तथा शान्ति पूर्वक रहवास करने बाबत का उल्लेख किया है।

रेस्पोडेण्ट का तर्क है कि श्रीमति आशा श्रीवास्तव जो अपने पति की पारिवारिक पेंशन के रूप में मासिक 16,000/– रूपये प्राप्त कर रही है। और साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा चिकित्सा डायरी व आर जी एच एस के रूप में प्राप्त कर रही है साथ ही अपने पति के 3 मंजिला मकान में निवास करती है। भरण पोषण सेक्शन संख्या 9 की उप धारा 1 व 2 के अनुसार जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो उसके लिए अधिकतम 10,000/– रूपये मासिक के प्रावधान उक्त अधिनियम में है। जबकि अपीलार्थी श्रीमति आशा श्रीवास्तव पूर्व में 2008 से 2015 तक 1/2 पेंशन प्राप्त की है और वर्तमान में भी लगभग 16,000/– रूपये से ज्यादा पेंशन प्राप्त कर रही है। प्रार्थी अपने मासिक वेतन से पत्नि मय दो बच्चो का पालन पोषण कर रहा है और माता श्री आशा श्रीवास्तव अपनी पेंशन से अपना पालन पोषण कर रही है।

माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 भरण–पोषण हेतु आदेश मे निर्देश है कि–

1 यदि सन्तान या सम्बन्धी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूरी करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

भत्ता, जैसे कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।

2 अधिकतम भरण–पोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित, किया जाए, जो प्रतिमाह दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।

प्रकरण में अपीलाण्ट/प्रतिवादीया के पति की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने से अपीलाण्ट को वर्तमान में लगभग 16000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही हैं। माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 के बिन्दु संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट पर लागू नहीं होते हैं। पक्षकारान के मध्य यदि मकान, प्लॉट, सम्पत्ति को लेकर विवाद हैं तो पक्षकारान सक्षम न्यायालय में चारा जोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 19.06.2020 में कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested